कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एस0 एस0 रेजिन प्राइवेट लिमिटेड, 26 / 21, बिरहाना रोड, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**103 / 10, 04.11.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री एस0 एस0 रेजिन प्राइवेट लिमिटेड, 26 / 21, बिरहाना रोड, कानपुर. द्वारा दिनांक 04.11.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' other organic compound जो कि mixture of chemicals है ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 13.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-3256, दिनांक 10.12.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा रूप पत्र-24 के संलग्नक-बी में पॉली यूरेथिन इन प्राइमरी फार्म व अदर आर्गेनिक कम्पाउण्ड की बिक्री दर्शायी जाती है तथा 4% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है । फर्म के वि0 अनु0 शा0 सर्वेक्षण दिनांक 10.03.2010 के समय व्यापार स्थल पर '' एडेसिव '' पाया गया था जिस पर 12.5% की दर से करदेयता है । अत: व्यापारी के माह-अप्रैल, 2010, मई, 2010, जून, 2010 व जुलाई, 2010 के अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए एडेसिव का निर्माण मानते हुए 12.5+1% की दर से कर आरोपित किया गया है । आख्या में यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी के ही धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-256 / 2008 एवं प्रार्थना-पत्र संख्या-115 / 2009 पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा other organic compound पर कर की देयता के सम्बन्ध मे पूर्व में ही निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें उनके प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किया गया है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.11.2010 को प्रस्तुत किया गया है । इसके पूर्व ही प्रार्थी के वाद में माह-अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2010 के लिए कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा अस्थाई कर-निर्धारण आदेश पारित किया गया है । स्पष्टत: अस्थाई कर निर्धारण आदेश के पश्चात प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रार्थी के विरूद्ध की गयी अस्थाई कर-निर्धारण की कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निम्न व्यवस्था है :- '' No question which arises from an order already passed, in the case of applicant by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section. '' स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में

.....2

निर्धारित व्यवस्था से आच्छादित है जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर other organic compound के सम्बन्ध में पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.07.2008 एवं दिनांक 01.02.2010 पारित किया जा चुका है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.11.2010 में जिस प्रश्न का समाधान करने की अपेक्षा की गयी वह प्रश्न प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई कर-निर्धारण की कार्यवाही से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अत: उक्त प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वस्तु के सम्बन्ध में धारा-59 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 18.07.2008 एवं दिनांक 01.02.2010 पारित किया जा चुका है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18 फरवरी, 2014

ह0 / 18.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।